

अनुदान संख्या 97 - दादरा और नागर हवेली  
GRANT No. 97-DADRA AND NAGAR HAVELI

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	453,82,00		
			457,93,00	456,08,76
पूरक	Supplementary	4,11,00		-1,84,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,82,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	35,49,00		
			37,30,00	37,29,14
पूरक	Supplementary	1,81,00		-86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें ( 184.24 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 411.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का लगभग आधा प्रतिशत थीं।

**Notes and comments**

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.184.24 lakhs) constituted 45 percent of the supplementary grants of Rs.411.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and nearly half percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
घ-विद्युत मंत्रालय	<b>D-Ministry of Power</b>			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"			
बिजली	Power			
मू.	O.	38767.00		
			38737.29	38737.26
पु.	R.	-29.71		-0.03

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय अधिक व्यय+  
Actual Excess+  
expenditure

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
ज्ञ-प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	<b>I- Department of Elementary Education and Literacy</b>				
मुख्य शीर्ष "2202"	<b>Major Head "2202"</b>				
सामान्य शिक्षा	<b>General Education</b>				
मू.	O.	1308.00	1554.38	1554.88	+0.50
पू.	S.	401.00			
पु.	R.	-154.62			

(I) 7.58 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.7.58 lakhs remained wholly unutilised under ten heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2202" - "प्रारंभिक शिक्षा - प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता - प्राथमिक शिक्षा का संवर्धन" के अंतर्गत 12.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 401.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 413.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो योजन आयोग द्वारा परवर्ती चरण में पूरक अनुदान के प्रथम बैच के माध्यम से मांगी गई राशि के प्रयोजन में परिवर्तन किए जाने पर पूरक अनुदान के अंतिम बैच में प्राप्त की गई समतुल्य राशि का पूरक अनुदान प्राप्त किए जाने के कारण 181.67 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा। अतः तकनीकी अभ्यर्पण किया गया।

(II) Under Major Head "2202" - "Elementary Education - Assistance to Local Bodies for Primary Education - Promotion of Primary Education" - the original provision of Rs.12.50 lakhs was augmented to Rs.413.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.401.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.181.67 lakhs due to change in purpose for which the amount was sought through 1st batch of supplementary by the Planning Commission at the subsequent stage, a supplementary grant of an equal amount had been obtained in the final batch of supplementary. Hence technical surrender.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.65.00 lakhs occurred constituting 30 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नानुसार हुई:-

2. In the capital section of the grant, savings occurred as under:-

(I) 22.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.22.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 60.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of Rs.60.00 lakhs occurred constituting 30 percent of the sanctioned provision.